न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, सहारनपुर।

C.N.R. No-UPSP040456732026

राज्य बनाम सिकन्दर उर्फ छोटू

धारा–**305(ए) एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता**

थाना–**सरसावा,** जनपद–**सहारनपुर।**

मुकदमा अपराध संख्या–**28 / 2026**

आदेश

19.06.2026

मुकदमा अपराध संख्या–29 / 2026, अन्तर्गत धारा–305(ए) एवं 317(2) भारतीय न्याय संहिता थाना सरसावा जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत अभियुक्त **सिकन्दर उर्फ छोटू पुत्र मामचन्द** की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी को उपरोक्त वाद में झूठा संलिप्त किया गया है। प्रार्थी पर पुलिस द्वारा झूठी एवं फर्जी बरामदगी दिखाई गई है। प्रार्थी द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी को आपराधिक इतिहास नही है। वह दौरान वाद उचित जमानत देने को तैयार है। दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त पर नलकूप की मोटर की चोरी करने का आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 11.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में आख्या आहूत की गयी थी। संबंधित थाना द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास न्यायालय में प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में आधार जमानत पर्याप्त हैं। अभियुक्त **सिकन्दर उर्फ छोटू पुत्र मामचन्द** द्वारा 25,000 / –रूपये का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर दौरान वाद अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

प्र0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय,
सहारनपुर।